

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/स्थायीकरण/2019/

दिनांक:

—:आदेश:—

निदेशालय के आदेश संख्या 218 दिनांक 12.08.2016, 220 दिनांक 16.08.2016, 121 दिनांक 08.02.2017 एवं 204 दिनांक 28.03.2017 के द्वारा दो वर्ष के परीक्षाकाल पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों का फार्मासिस्ट के पद पर चयन कर नियुक्तियां प्रदान की गई थी। इन अभ्यर्थियों द्वारा दो वर्ष का परीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 के नियम-31 के तहत एतद् द्वारा स्थायी किया जाता है। इन्हें परीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एफडी/नियम 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में फार्मासिस्ट के पद की पे-मैट्रिक्स L-10 में न्यूनतम वेतन रूपये 33800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	जन्म तिथि	पदस्थापन जिला	कार्यग्रहण तिथि	परीक्षा काल पूर्ण करने की दिनांक	2 वर्ष पश्चात् परीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1.	मोहिनी दोसी	14.08.1988	बांसवाड़ा	22.08.2016	21.08.2018	22.08.2018
2.	राजेन्द्र कुमार मीना	06.03.1983	बांरा	19.08.2016	18.08.2018	19.08.2018
3.	रामकुमार	10.07.1980	धौलपुर	30.03.2017	29.03.2019	30.03.2019
4.	हलीम खाँ	02.09.1988	धौलपुर	30.03.2017	29.03.2019	30.03.2019
5.	रविन्द्र कुमार सोनी	02.01.1977	नागौर	13.02.2017	12.02.2019	13.02.2019
6.	मदन लाल	01.07.1982	नागौर	28.02.2017	27.02.2019	28.02.2019
7.	खत्री हिमानी बेन भेरूमल	23.08.1991	सिरोही	17.08.2016	16.08.2018	17.08.2018
8.	केशिनी कुमारी	27.02.1990	बांसवाड़ा	19.08.2016	18.08.2018	19.08.2018
9.	हितेन्द्र कुमार जैन	27.11.1980	बांसवाड़ा	19.08.2016	18.08.2018	19.08.2018
10.	ममता गुर्जर	17.07.1992	नागौर	17.08.2016	16.08.2018	17.08.2018
11.	नितेश कुमार शर्मा	06.06.1987	झुझुनू	28.02.2017	27.02.2019	28.02.2019
12.	मनोज कुमार जांगिड़	16.09.1983	झुझुनू	17.08.2016	16.08.2018	17.08.2018
13.	दीपक राव	24.10.1987	झुझुनू	19.08.2016	18.08.2018	19.08.2018
14.	मनोहर लाल	10.04.1987	जौसलमेर	17.08.2016	12.09.2018	13.09.2018

नोट: क्रम सं0 14 पर अंकित मनोहर लाल द्वारा परीक्षाकाल में 57 दिवस असाधारण अवकाश पर रहने के कारण नियमानुसार 30 दिवस से अधिक अवधि 27 दिवस परीक्षाकाल में वृद्धि की गयी है। उक्त कार्मिकों का उक्तानुसार वेतन निर्धारण एवं सेवा पुस्तिका में तत्संबंधी इन्द्राज संबंधित कार्यालयध्यक्ष के द्वारा किया जावेगा।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/स्थायीकरण/2019/295

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निदेशक, (ईएसआई योजना), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
2. विशेषाधिकारी, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, मुख्यालय।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
4. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज।
5. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. आदेश/निजी पत्रावली।
10. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।

दिनांक: 26.07.2019.

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर